"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2003—आषाढ़ 20, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक ई 1-15/2003/1/2.—श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (1991), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को प्रशिक्षण से लौटने पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्रा, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक बी-1/19/2003/4/एक.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई, 2003 का सरल क्रमांक-2, जिसका संबंध श्री डी. डी. सिंह (आर आर-84, रा. प्र. से., प्र. श्रे.) अपर कलेक्टर, दुर्ग को उप सचिव, छ. ग. शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ करने से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 29-5-2003 के सरल क्रमांक-1, जिसके द्वारा श्री आर. एस. ठाकुर, (आर आर-86 रा. प्र. से., प्र. श्रे.) उप सचिव, छ. ग. शासन, आदिमजाति एवं

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

अनुसूचित जाति विकास विभाग को अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, बीजापुर जिला-दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री जेवियर तिग्गा (आर आर-84, रा. प्र. से., प्र. श्रे.) को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, बस्तर जिला-जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री बी. के. कोशले, (पी-2002, रा.प्र.से., क. श्रे.) तदर्थ डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, राजस्व मण्डल, छ. ग., बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक 524/2003/1-8/स्था.—श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्र, उप सचिव, गृह विभाग को दिनांक 9-6-2003 से 13-6-2003 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 जून, 2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्र को उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्र, अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक 520/2003/1-8/स्था.—श्री एडवर्ड तिग्गा, अवर सचिव, उद्योग खनिज साधन विभाग को दिनांक 23-12-2002 से 4-1-2003 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 5-1-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिग्गा को अवर सचिव, उद्योग खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एडवर्ड तिग्गा, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, उद्योग खनिज साधन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक 522/2003/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 20-5-2003 से 31-5-2003 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 1-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो को अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवकाश पर नहीं जाती तो अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक 526/2003/1-8/स्था.—वाय. एस. बेले, अवर सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 14-5-2003 से 18-5-2003 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश एवं 19-5-2003 से 24-5-2003 तक 6 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 25-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेले को अवर सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाय. एस. बेले, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक 529/2003/1-8/स्था.—श्री सी. के. देवाणी, अवर सचिव, वित्त योजना विभाग को दिनांक 19-5-2003 से 13-6-2003 तक 26 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 14 एवं 15-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री देवाणी को अवर सचिव, वित्त योजना विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. के. देवाणी, अवकाश पर नहीं तो तो अवर सचिव, वित्त योजना विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक 531/2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, स्टाफ आफिसर, वन विभाग को दिनांक 10-2-2003 से 22-2-2003 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 23-2-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय को स्टाफ आफिसर, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय, अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 627/2003/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. राय, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 30-5-2003 से 7-6-2003 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 8-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राय को अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. राय, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 631/2003/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, स्टाफ आफिसर, गृह विभाग को दिनांक 28-5-2003 से 7-6-2003 तक 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स को स्टाफ आफिसर, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 629/2003/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 23-6-2003 से 30-6-2003 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. डी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 633/2003/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, स्टाफ आफिसर, मुख्यमंत्री कार्यालय को दिनांक 31-3-2003 से 17-4-2003 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 18, 19 एवं 20-4-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार, को स्टाफ आफिसर, मुख्यमंत्री कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार,अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, मुख्यमंत्री कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. भट्टर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक एफ-18-154/2002.—राज्य शासन द्वारा आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया है, अतः विस्फोटक नियम, 1983 की नियम 169 (4) के अनुसरण में, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रमुख सचिव (गृह)/सचिव (गृह), छत्तीसगढ़ शासन को जिला दण्डाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी-सशक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राबर्ट ह्रांग्डोला, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक एफ-18-154/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 20-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राबर्ट ह्रांग्डोला, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 20th June 2003

No. F-18-154/2002.—The State Government has abolished post of the Commissioner, thus in persuance to Rule 169 (4) of Explosive Rules, 1983, the State Government hereby empowers the Additional Chief Secretary (Home)/Principal Secretary (Home)/Secretary (Home) of Chhattisgarh Government appellate authority against the order of District Magistrate.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ROBERT HRANGDAWLA, Principal Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 17 जून 2003

क्रमांक 3966/क/भू-अर्जन/2002/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	कुम्हाररास	4.636	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, दंतेवाड़ा.	कुम्हाररास जलाशय के मुख्य नहर योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

रा. प्र. क्र./24/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सोनबर्षा	16.608	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 12-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	लखनपुर प.ह.नं. 10	0.87	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रबेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 13-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	जुनवानी प.ह.नं. 35	0.26	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से गोछिया तक सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 14-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कबीरधाम	लिमो प.ह.नं. 35	0.63	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से गोछिया तक.

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 15-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	लालपुर कला प.ह.नं. 10	0.52	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रबेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 16-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	रबेली प.ह.नं. 9	0.80	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रबेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 17-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सूखाताल प.ह.नं. 9	1.92	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रबेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 18-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	रबेली प.ह.नं. 9	1.21	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रबेली से लखनपुर सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 18 जून 2003

प्र. क्र. 19-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	छिरहा प.ह.नं. 35	0.04	कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से गोछिया तक सड़क निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/692.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	तुषार प. ह. नं. 13	0.745	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/693.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ओड़ेकेरा प. ह. नं. 18	4.856	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/694.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अकलसरा प. ह. नं. 6	0.099	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	अकलसरा माइनर क्र. 1 (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/695.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	मलनी प. ह. नं. 4	0.280	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3 सक्ती.	सलनी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/696.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	सलनी प. ह. नं. 4	0.086	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	सलनी सब माइनर क्र. 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/697.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	[illegible]	(3)	(4)	(5)	(6)
...गीर-चांपा	[illegible]	भोथिया प. ह. नं. 5	0.127	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	मलनी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/698.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	दर्राभांठा प. ह. नं. 1	0.097	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	अकलसरा माइनर क्र. 1

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/699.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प. ह. नं. 14	5.107	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	परसाडीह वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/700.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प. ह. नं. 14	0.989	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	बरदुली शाखा वितरक नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 102/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	नवागांव प.ह.नं. 6	3.265	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2003

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 103/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कलमीपाट प.ह.नं. 9	0.061	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2003

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 104/अ-82/ 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	गीधा प.ह.नं. 12	8.078	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 105/अ-82/ 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बेन्दोझरीया प.ह.नं. 15	1.508	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 106/अ-82/ 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सोंड़का प.ह.नं. 17	5.059	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 107/अ-82/ 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी f ेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा ,7 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	फुलबंधिया प.ह.नं. 17	4.856	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 108/अ-82/ 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पामगढ़ प.ह.नं. 6	2.549	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 जून 2003

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 109/अ-82/ 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पलगढा प.ह.नं. 8	1.781	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 जून 2003

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 110/अ-82/ 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सोंड़का प.ह.नं. 17	4.192	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 जून 2003

क्र. 1165/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डरीतरई, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
334	0.06
357	0.12
351	0.30
360	0.18
372/1	0.19
350/1-4	0.12
358	0.17
348	0.04
356	0.17
361/1	0.20
373	0.21
359	0.02
353	0.02
349/2	0.08
366	0.18
361/2	0.20
योग	2.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्डरीतरई जलाशय का उलट निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05-अ/82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-सेनभॉठा, प. ह. नं. 113
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.29
134	0.06
18, 132	0.14
130	0.02
22, 25	0.23
133	0.01
योग 6	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./07-अ/82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला महासमुन्द
- (ख) तहसील महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम खट्टी, प. ह. नं. 113/60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 2.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.64
98, 111	0.45
97, 113	0.22
95, 116	0.38
146	0.02
171, 168	0.05
166	0.07
836	0.04
837	0.06
838	0.11
840	0.04
841	0.06
842	0.11
901	0.07
203	0.17
186	0.06
188, 190	0.10
योग 17	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है अपर जोंक परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./09-अ/82/ सन् 2001 2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बागबाहरा कला, प. ह. नं. 119/67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
451	0.11
469	0.01
467	0.02
461	0.02
466	0.19
465	0.03
464	0.01
463	0.01
491	0.13
526	0.05
490	0.05
489	0.10
487	0.03
488	0.07
525	0.13
485	0.08
524	0.07
योग 17	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू. अर्जन/अ.वि.अ./10-अ/82/ सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला महासमुन्द
- (ख) तहसील महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम खोपली, प. ह. नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
229	0.07
529	0.20
230	0.01
238	0.18
239	0.10
241	0.24
253	0.12
534	0.07
242/1	0.09
245	0.06
249	0.20
247	0.01
264	0.22
262	0.03
266	0.09
267	0.47
274	0.06
269	0.09
305	0.22
270	0.05
271	0.12
304	0.12
297	0.01
302/2	0.14
290	0.12
451	0.04
287	0.03
291	0.03
289	0.01
293	0.01
292	0.02
527	0.14
528	0.03
547	0.01
548	0.01
550	0.14
549	0.02
553	0.15
561/1	0.03
556	0.15

(1)	(2)
560	0.04
559	0.07
561/2	0.09
563	0.17
567	0.03
575	0.40
579	0.19
566	0.06
569	0.07
580	0.05
योग 50	5.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./18-अ/82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खोपली, प. ह. नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230	0.40
364	0.06
363	0.02
362	0.12
365	0.10
414	0.12
366	0.08
416	0.42
367	0.10
368	0.20
370	0.10
417	0.08
626	0.20
628	0.02
622	0.06
617	0.11
623	0.02
620	0.11
615	0.04
योग 19	2.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चंडी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./19-अ/82/ सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-कलमीदादर, प. ह. नं. 122
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
175	0.07
178	0.11
193	0.06
182	0.07
195	0.03
196	0.03
206	0.08
207	0.08
208	0.05
219	0.14
214	0.02
215	0.05
217	0.04
231	0.03
257	0.01
229	0.05
249/1	0.05
250	0.03
266	0.07
265	0.07
255	0.01
256	0.02
263	0.03
264	0.03
273	0.18
447	0.08
446	0.08
449	0.18
450	0.04
460	0.06
233	0.01
454	0.02
455	0.03
248	0.02
459	0.04
230	0.01
234	0.03
472	0.06
473	0.05
474	0.03

(1)	(2)
486	0.03
480	0.05
485	0.05
481	0.01
484	0.10
504	0.05
503	0.05
501	0.06
522	0.05
534	0.02
525	0.05
526	0.05
524	0.07
523	0.04
515	0.12
521	0.06
529	0.06
258/2	0.02
योग 58	3.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दाबपाली जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला रायगढ़
- (ख) तहसील खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम मकरी,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.256 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	46	0.131
	37	0.004
	256/2	0.121
योग	3	0.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.013 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	347/4	0.013
योग	1	0.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351/1 ग	0.081
योग 1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 14/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-तौलीपारा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
209/8	0.012
209/4	0.012
209/13	0.012
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दारीमुड़ा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 95/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.806 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.020
303	0.097
304/2	0.117
289/1	0.040
289/2	0.069
283/1	0.117
251	0.036
276/5	0.061
276/4	0.093
264/2	0.061

(1)	(2)
264/1, 275/1	0.045
261	0.129
265/2	0.008
226/1	0.053
222/28	0.012
263	0.032
249	0.061
248/1	0.069
248/4	0.012
	0.061
225/14	0.036
226/5	0.053
222/27	0.012
225/17	0.008
225/6	0.036
250/1	0.036
225/3	0.081
229/1	0.053
228/6	0.077
222/6	0.049
222/4	0.054
226/1	0.049
287	0.069
योग	1.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोड़ासागर माइनर (सिंघरा + सेरो सब डिस्ट्री ब्यूटरी से.)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाजंगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मई 2003

क्र. 488/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-घिवरा, प. ह. नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.215 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
480, 506	0.057
313/2	0.073
510/2	0.020
508	0.097
507	0.145
475	0.153
417	0.149
322/1	0.206
474/2	0.097
473/2	0.101
465/2 क	0.109
473/1	0.053
466	0.081
468/2	0.068
471/4	0.032
471/1	0.097
468/1	0.045
468/3	0.053
424/1	0.014
421	0.040
420	0.053
322/2	0.057
321/1 क	0.129
312	0.105
311	0.032
321/1 ख	0.332
419	0.020
320/1	0.125
320/3	0.121
314	0.004
309/1	0.097

(1)	(2)
307	0.068
305	0.016
306	0.053
304/3 304/1	0.020
304/5	0.089
460/1 क	0.004
योग	3.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 577/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
971/1	0.089
968/1	0.101
967/1	0.049
967/3	0.057
966/3	0.097
949	0.129
1087	0.012
966/2	0.016
1123/1	0.061
950	0.085
953	0.101
954	0.170
1077/1 1077/2	0.117
1076/2	0.020
1076/4	0.008
1082	0.089
1083/3, 6	0.077
1089/2	0.032
1084/3	0.049
1084/2	0.012
1083/6	0.040
1083/2	0.061
1085	0.061
1088/1 ख	0.089
1089/1	0.049
1086	0.040
1115/1	0.020
1115/2	0.045
1115/5	0.077
1114/4	0.057
1114/3	0.186
1114/6	0.045
1205/2	0.231
1205/8	0.024
1124	0.267
योग 35	2.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोबरा सब डि. वाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर चाम्पा, दिनांक 5 मई 2003

क्र. 580/सा-1/सात.—चूंकि राज्य,शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील डभरा
- (ग) नगर/ग्राम शंकरपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.499 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
352	0.028
351/2	0.085
337/3	0.085
350	0.101
349	0.113
50/2	0.109
49/2, 50/22	0.109
50/7	0.057
50/3	0.097
332	0.154
50/15	0.049
346/1	0.045
346/2	0.016
50/10	0.016
50/13	0.069
153	0.101
342, 339	0.053
343	0.028
335	0.028
330	0.053
155, 156	0.081
45	0.040
331/2	0.057
331/1	0.028
329	0.028
172	0.089
50/5	0.073
325/2, 325/3	0.186
323/1	0.097
154	0.053
157	0.032
158	0.024
165	0.073
167	0.016
168	0.020
169	0.020
170	0.004
171/1, 171/2	0.045
175/1 क	0.109
173	0.028
योग	2.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिरगिरा ब्रांच माइनर (नं.-1 आर)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 595/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.394 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
559	0.045
560/3	0.040
560/2	0.053
317/5	0.073
570/2	0.020
578	0.061
577/1	0.057
577/2	0.040
576	0.153
579	
574	
575	
573	0.061
572/1	0.020
572/2	0.049
584	0.065
585/1	0.032
585/2	0.020
583	0.040
586	0.053
587/2	0.028
321/1	0.040
587/1	0.032
319/5	0.157
320/3	
322/1	
323/1	
320/5	0.032
319/2	0.004
310	0.016
320/2	0.077
320/4	0.036
325	0.008
326/1	0.129
326/2, 3	
327	
319/3	0.065
320/1	
329	
330	
328/2	0.020
328/1	0.065
331/2	0.004
298/5	0.049
629/1	0.061
332	0.004
298/1	0.004
629/3	0.069
317/1, 2	0.016
312	0.121
309/2	0.040
298/3	0.028
298/4	0.049
311/1	0.032
311/2	0.032
309/1	0.040
612/1	0.024
612/2	
629/2	0.113
631/2	0.097
योग	2.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चुरतेला ब्रांच माइनर नं. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 600/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सुखदा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.406 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.263
2/6	0.036
3/3	0.020
3/4	0.097
2/4	0.020
2/5	0.040
9/1	0.097
9/4	0.073
10/2	0.040
11/3	0.134
11/2	0.020
19/4	0.101
19/1	0.028
9/3	0.012
12, 13, 15/3	0.332
14/1	0.093
योग	1.406

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 604/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.438 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1261/1	0.040
1261/3	0.109
1261/2	0.004
1244/3	0.004
1204	0.057
1210/3, 4	0.020
1210/2	0.020
1259/1	0.081
1258/1	0.008
1243	0.073
1258/2	0.020
1258/3	0.057
1257/2	0.065
1240/2	0.097
1240/1	0.020
1240/6	0.032
1240/5	0.028
1239/3	0.036
1205	0.073
1197/3	0.061
1210/1	0.045
1212/1	0.045
1212/3	0.016
1196/3	0.008
1217/1	0.012
1213	0.020
1214	0.028
1215, 1216	0.057
1217/2	0.045
1186/6	0.016
1186/4	0.036
1182/7	0.040
1182/6	0.045
1182/4	0.040
1181/1	0.028
1180	0.040
1179	0.012
योग	1.438

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 611/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.278 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/5	0.012
39/3, 39/4	0.065
44/4	0.040
415/3	0.121
448	0.040
योग	0.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठनगन माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 618/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-तुलसीडीह, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.850 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
200/4	0.065
200/6	0.061
202/2	0.057
200/7, 200/8	0.016
214/3	0.036
214/5	0.024
214/6	0.053
210/1, 218	0.149
219/2	0.044
219/4	0.061
219/1	0.004
220	0.036
221/14	0.049
221/15	0.008
221/13	0.057
217	0.130
योग	0.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुसमुल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 जून 2003

क्र. 684/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-खेमड़ा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.374 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
146	0.028
147/2	0.036
145/2	0.016
175/2	0.016
145/1	0.016
150	0.089
143	0.057
411/2	0.077
685/1	0.105
142/1	0.085
160/1	0.109
161/2	0.008
161/1	0.057
453	0.243
162/5	0.072
165/2	0.053
164	0.065
126/1	0.045
167/2	0.053
168/1	0.053
169	0.065
170/2	0.061
170/1	0.077
176	0.045
177	0.202
174/1	0.008
232/2	0.028
421/1	0.004
421/2	0.004
443/1	0.004
688	0.053
183	0.053
217	0.024
411/1, 411/4	0.222
181/2	0.080
184/1	0.080
186, 187/2, 218	0.202
232/1	0.089
421/3	0.004
422/2, 423/2	0.016
425/1	0.020
426	0.053
443/2	0.109
407	0.072
406	0.040
444, 695/2	0.210
445/2	0.109
447/3	0.061
448	0.137
449	0.121
695/23	0.129
695/22	0.093
695/32	0.069
689/1	0.065
687	0.085
686	0.040
685/2	0.065
685/3	0.061
684/1	0.045
684/3	0.057
684/6	0.032
684/4	0.097
योग	4.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डि. वाय./टेल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2003

क्र. 688/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोमो, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.333 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
336	0.141
334/2	0.040
339/4	0.113
339/2	0.061
339/1	0.020
341/3	0.012
341/1	0.089
361/2	0.028
361/1	0.065
464	0.069
361/3	0.040
428/3, 4	0.121
363/4	0.036
363/3	0.053
364/1	0.020
364/2	0.028
367/2	0.036
369	0.028
367/3	0.008
370	0.036
373	0.020
372	0.028
441	0.020
429	0.028
440	0.073
392/1	0.040
439	0.049
436/1	0.012
436/2	0.040
423	0.024
422/2	0.020
436/3	0.016
392/2	0.040
430	0.069
393	0.069
422/1	0.105
427/2	0.045
700/9	0.069
700/2, 5	0.118
700/1	0.077
462/4	0.073
459	0.214
465/2	0.040
योग 43	2.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोमो माइनर (धुरकोट वितरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 55/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बरपाली, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.791 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334	0.008
336, 337	0.109
339/7	0.041
339/9	0.045
339/6	0.028
339/4	0.012
339/5	0.061
339/2	0.004
340/4	0.109
340/5	0.028
360/2	0.049
360/1	0.024
360/3	0.004
359	0.041
358/1	0.008
353/1	0.012
353/2	0.020
356/2	0.032
355	0.024
352	0.008
412	0.093
335	0.023
356/1	0.008
योग	0.791

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 18/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अचरितपाली, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.393 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/8	0.105
102/10	0.053
102/9	0.061
99	0.049
97/3	0.097
97/2, 98/1	0.032
100/2	0.008
168/3	0.093
167/4	0.190
166/1	0.004

(1)	(2)
166/4	0.073
167/5	0.004
166/6	0.024
166/7	0.045
166/8	0.032
165	0.061
163	0.065
161	0.065
160/1	0.089
211/1	0.057
212	0.113
167/2	0.004
211/2	0.069
योग	1.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचरित-पाली सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 89/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम भडोरा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.082 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
591/1	0.053
591/2	0.008
587/4	0.105
592	0.060
613/2	0.053
613/3	0.020
613/1	0.105
614	0.073
615/3	0.129
615/4	0.036
617/2	0.101
618, 619, 620	0.210
628	0.069
629/2, 627	0.060
649/1	0.032
649/3	0.057
650	0.101
649/4	0.049
680/1	0.036
680/2	0.040
680/3	0.040
680/4	0.109
681	0.036
682/1	0.060
682/2	0.065
682/3	0.040
684/7	0.020
696/2	0.020
697/2, 697/3, 698	0.178
699/2	0.085
692	0.032
योग	2.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भडोरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 91/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.807 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
737/1, 737/2	0.085
735/1	0.037
735/4	0.028
585/1	0.081
496/3	0.053
500/3	0.040
585/2	0.093
584	0.117
583/1	0.065
583/2	0.040
495/2	0.077
494/2, 494/3	0.158
499/2	0.089
500/2	0.040
517/1	0.016
517/2	0.020
501/3	0.061
501/2	0.040
501/1	0.040
507	0.032
502-	0.008
503, 504	0.065
505	0.020
188	0.077
189	0.069
734	0.409
योग	1.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिरदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 24/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-डोंगरीडीह, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.658 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/5	0.053
1/10	0.065
1/6	0.049
32/2	0.032
13/2	0.049
1/7	0.016
1/3	0.081

(1)	(2)
9/7	0.089
9/5	0.097
2	0.130
47/9	0.008
3/2	0.057
21/3	0.016
14/2-3	0.024
19/1	0.041
21/4	0.024
24/3	0.032
9/18	0.016
10/1	0.016
10/3	0.024
10/2	0.045
19/2	0.024
30/2	0.008
45/4	0.041
19/16	0.037
19/4	0.041
31/2	0.041
25/5	0.057
31/1	0.045
32/1	0.032
44/3	0.016
44/4	0.032
19/17	0.041
44/6	0.016
45/3	0.041
19/9	0.057
17	0.041
48/6	0.024
48/9	0.016
47/11	0.016
47/6	0.016
48/5	0.032
9 (पी)	0.020
योग	1.658

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीह सब ब्रांच माइनर निर्माण .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 81/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भंडोरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.871 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
590/1	0.060
589/2	0.065
589/3	0.060
589/1	0.105
266/1	0.291
266/3, 266/4	0.053
266/2	0.089
265/1	0.049
265/2	0.053
244	0.069
245	0.149
199/1	0.028
243/1	0.040
243/2	0.028
198/1, 198/5	0.129
241	0.020
202/1	0.077
201	0.004
199/3	0.089
196	0.040
197/1	0.049
197/3	0.057
202/2	0.020

(1)	(2)
590/2	0.065
591/3	0.182
योग	1.871

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रबेली मेन माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 73/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम पिरदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.448+0.361=1.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अचरितपाली सब माइनर	
1420/1	0.065
1420/3	0.040
1424/2	0.121
1421	0.057
1423	0.040
1422/2	0.040
1199/2	0.081
1428	0.105
1430/1	0.170
1436	0.093
1429	0.040
1435/1	0.057
1434/1	0.162
1444	0.235
1448/3	0.065
1448/1	0.077
योग	1.448
अमलीडीह ब्रांच सब माइनर	
1437/1	0.024
1435/1	0.049
1438/2	0.065
1439	0.061
1194/1	0.162
योग	0.361
कुल योग	1.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचरित-पाली सब माइनर, अमलीडीह ब्रांच सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 49/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
654	0.077
656/3	0.008
656/2	0.016
657/2	0.069
705/1	0.237
706	0.081
707/3	0.069
707/1	0.045
707/3	0.061
योग	0.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरभांठा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 78/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम सतगढ़, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.163 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
690/1	0.061
689/2	0.028
622	0.130
621	0.061
557/1	0.097
545/1	0.008
689/1	0.105
624/2	0.032
689/3	0.032
657	0.065
653/2, 653/1	0.040
638/1	0.049
656	0.020
640	0.028
642	0.049
499/3	0.049
499/2	0.065
499/1	0.073
499/4	0.028
510/5	0.016
624/3	0.061
624/1	0.032
552	0.020
551	0.138
553	0.032
282/2	0.016
548	0.061
546/1	0.061
561/2	0.077
545/2	0.097
543	0.049
563	0.008
302	0.097
292/3	0.036
292/1	0.040
284, 291/1	0.125
286	0.093
254/1	0.012
253	0.008
304/4	0.008
303	0.028
654, 655	0.028
योग	2.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिहरिद माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 87/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम बड़ेसीपत, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
446/2, 449/1, 449/2, 449/3, 451/4	0.198
447	0.057
448	0.065
435/4, 435/5	0.405
106/1, 109/1	0.133
106/2, 109/2	0.016
106/3, 109/3	0.101
107/1, 107/2	0.267
1129	0.032
1130/1	0.012
1131/1	0.206
1138	0.101
1137/1	0.044
1142/1, 1142/2, 1142/3, 1142/4	0.307
1147/1	0.008
1149/2	0.024
1147/3	0.008
1147/4	0.024
1147/5	0.008
योग	2.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रबेली उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 56/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.152 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
420/1	0.020
417/1	0.121
414	0.093
415/1	0.113
412/2	0.142
412/5	0.085
402/2	0.097
401/2	0.004

(1)	(2)
401/3	0.040
395/1	0.040
395/2	0.036
394/2	0.065
394/1	0.121
260/23	0.004
260/13	0.032
260/12	0.036
260/1	0.121
260/7	0.081
260/27	0.089
260/28	0.028
264/1	0.081
263/4	0.040
263/3	0.077
267/2	0.004
268/1	0.109
270/3	0.049
272/1	0.004
271	0.020
273/1	0.057
273/2	0.053
273/4	0.061
290/1	0.020
290/2	0.028
276/7	0.020
276/4	0.028
278, 279	0.020
277	0.016
289	0.045
419	0.012
262/3	0.040
योग	2.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 86/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
153/3	0.097
154/4, 158/4	0.045
152/3	0.040
153/5	0.012
160/2	0.053
162/5	0.032
154/2, 158/1	0.053
162/8	0.121
160/1	0.097
161/2	0.065
161/1	0.154
420/1	0.089
170/3	0.279
419/2	0.004
423	0.016
420/2, 422	0.097
418/4	0.016
418/3	0.040
421/1	0.032
421/2	0.049
430	0.085
429	0.105

(1)	(2)
425/16, 296, 498	0.045
425/11	0.162
426/4	0.036
425/1	0.142
425/8	0.089
502/1	0.008
51	0.332
556/3	0.069
556/4	0.174
556/1	0.126
556/7	0.008
563	0.243
566/4	0.093
556/8	0.032
567/2	0.085
598/1	0.150
568/3	0.093
599/2	0.008
571/3	0.126
595	0.113
597/1	0.081
596	0.158
597/2	0.049
610/3	0.020
608/2	0.024
609/1	0.150
609/3	0.024
608/1	0.150
611	0.154
613/1	0.154
613/3	0.234
613/4	0.032
613/5	0.012
49	0.263
634/4	0.036
योग	5.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--कुरदा सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 77/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भठोरा, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
905	0.061
919	0.012
904	0.012
718	0.069
903/1	0.040
756/1	0.036
165/1	0.008
903/2	0.045
756/3	0.065
908	0.032
894/1	0.049
895/1	0.045
726, 727	0.061
195	0.045
892	0.053
751/1	0.012
166/1	0.040
164/2, 164/3	0.045
757, 758	0.101
720, 721	0.008
717	0.028
176, 177	0.049
157/1	0.032

(1)	(2)
710/1	0.069
725/5	0.008
709/1	0.040
710/2	0.045
213	0.040
709/2	0.008
167/2	0.040
166/2	0.061
193	0.065
165/2	0.032
515	0.008
165/1	0.008
174	0.024
181	0.073
186/2	0.049
512/1	0.053
209	0.028
518/2	0.028
210/3	0.028
232	0.040
238	0.028
233, 235	0.045
516/2	0.036
517/1	0.024
521	0.053
514	0.008
519	0.032
520	0.049
271/1	0.024
393/4	0.097
395/1	0.073
719/2, 763	0.049
135	0.012
योग	2.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भठोरा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 69/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बीरभांठा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.356 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48/4	0.121
48/5	0.097
48/6	0.053
48/7	0.045
48/9	0.069
48/10	0.057
153/1	0.125
153/2	0.036
153/4	0.113
132/3	0.049
132/5	0.101
132/2	0.049
144	0.125
143/3	0.113
143/3 क	0.073
142/8	0.045
142/1	0.085
योग	1.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बीरभांठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 34/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम छपोरा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.450 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398/1	0.069
398/4	0.053
398/3	0.097
400/2	0.004
389/2	0.028
400/7	0.057
391/3	0.073
394	0.125
437	0.012
438/2	0.085
438/4	0.008
435/2	0.057
436	0.089
435/1	0.024
433/1	0.028
431	0.065
430/1	0.093
429/9	0.141
424/22	0.053
430/2	0.004
425	0.073
424/4	0.004
424/14	0.117
550	0.028
551	0.101
552/1	0.049
554/2	0.004
553	0.028
555	0.012
574/1	0.073
573/2	0.057
574/2	0.028
567/1	0.065
566/1	0.053
568/1, 568/2, 568/3	0.004
587/2	0.061
587/4	0.012
587/1	0.061
587/3	0.065
588/1	0.065
566/2	0.089
588/2	0.053
588/3	0.061
588/4	0.073
567/2	0.049
योग	2.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हंसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 मई 2003

क्र. 588/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बुंदेली, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.513 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
कटारी माइनर-2	
44	0.202
45	0.279
46/4	0.028
46/1	0.279
46/5	0.008
46/2	0.016
46/3	0.121
184/4	0.223
184/2	0.158
186/11	0.348
189	0.158
401/4	0.150
401/8	0.077
401/9	0.032
402	0.024
404/23	0.040
403/3	0.012
403/2	0.057
404/29	0.049
404/30	0.004
404/17	0.016
390	0.024
387	0.032
388	0.028
384/1	0.004
384/2	0.004
384/3	0.008
384/4	0.004
384/5	0.004
381	0.024
379	0.044
378	0.032
373	0.044
365/2	0.016
365/3	0.028
356	0.024
355	0.024
236	0.040
237/3	0.004
239/2	0.016
240	0.024
241/1, 2	0.016
266	0.024
265	0.024
264	0.020
267	0.016
268	0.020
269	0.028
270/1, 2	0.012
291	0.004
292/1, 2, 3	0.028
329	0.085
326/3	0.109
327/1	0.202
327/2	0.057
330/1	0.024
330/4	0.053
334/6	0.012
331/5	0.125
332/10	0.053
332/6	0.061
332/7	0.057
योग	3.739

कटारी माइनर-ब्रांच माइनर-2

(1)	(2)
44	0.053
46/4	0.105
46/9	0.101
46/8	0.097
51/6	0.146
51/5	0.020
51/18	0.089
52/1	0.006
53	0.073
54/1	0.085
54/2	0.101
55/1, 3	0.087
59/4	0.093
60/4	0.101
63/1	0.012
63/2	0.065
63/3	0.051
63/5	0.121
63/6	0.034
63/7	0.049
64/1	0.040
64/5, 6, 7	0.077
65/2	0.089
65/4	0.073
65/3	0.044
66/1	0.182
64/2	0.049
योग	2.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी ब्रांच माइनर I, II.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 103/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
(क) जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम नगझर, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल 2.371 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1011/1	0.040
1011/2	0.073
1012/2	0.032
1008	0.008
804/2	0.004
1007/2	0.032
1006	0.040
1002/1, 2	0.082
1003/3	0.177
727/1	0.036
728	0.036
729/2	0.049
729/1	0.089
835/1	0.004
735/2	0.028
735/1	0.036
743	0.016
742/2	0.061
741/1	0.028
740	0.036
739	0.089
751/2	0.138
784/3	0.045
783	0.093
831/2	0.040
803/1	0.065
835/2	0.057
803/2	0.073
835/3	0.065
835/6	0.057
833/1	0.137
800	0.073
831/5	0.040
831/4	0.097
847/1	0.040
848/1, 850	0.069
849	0.012
857/1	0.004
857/3	0.040
860/3	0.097
858, 859	0.077
861	0.032
857/4	0.024
योग	2.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 672/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.556 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252	0.028

(1)	(2)
254	0.020
253/3	0.088
253/4	0.049
253/2	0.032
255	0.180
248/6	0.065
261/1	0.040
261/2	0.036
261/13, 261/14	0.073
256	0.032
257/6	0.040
268/5	0.036
257/2	0.024
258/1	0.016
257/1	0.016
258/2	0.032
259	0.105
267/1	0.061
268/2	0.012
278	0.028
269/2	0.081
270/1	0.032
271/2	0.024
275/2	0.020
275/1	0.020
269/3	0.008
271/1, 272	0.061
273/1, 273/2, 273/4	0.061
276	0.024
277	0.016
284/2	0.028
285	0.061
288	0.065
289	0.065
290	0.057
योग	1.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारपारा सब माइनर (नगझर माइनर).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 92/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अडभार, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
385/1	0.265
385/2	0.070
389/1	0.056
389/7	0.106
389/9	0.232
399/1, 399/2	0.188
402/4	0.002
402/5	0.112
402/6	0.163
402/7	0.095
402/8	0.108
405/1	0.170
407/1	0.043
407/2	0.058
408/1	0.038
408/2	0.048
446	0.024
416	0.126
418/2	0.013
419/2	0.008
433/1	0.084
433/2	0.101
433/3	0.049

(1)	(2)
436/1	0.074
436/2	0.181
436/3	0.024
436/4	0.041
437	0.388
438/1	0.049
438/3	0.032
439/7	0.040
444/1	0.098
445/1	0.129
445/2	0.056
448/1	0.102
448/2, 448/3	0.141
योग	3.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप-वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 84/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम कुरदा, प. ह. नं.13

(घ) लगभग क्षेत्रफल 2.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634/4	0.016
634/5	0.097
634/9	0.045
634/6	0.028
636	0.130
639/2 ख	0.024
638	0.040
639/3	0.146
639/4	0.081
639/1 क	0.012
639/1 ख	0.113
639/ 2 घ	0.077
654/3	0.032
639/1 ग	0.012
651/5	0.032
639/2 क	0.049
639/2 ग	0.142
648	0.085
651/1 क	0.061
651/2 क	0.332
651/2 ङ	0.028
651/3	0.049
652	0.283
653/1	0.057
654/2	0.141
योग	2.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छपोरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 290/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.873 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
448/1	0.158
448/2 3	0.207
448/4	0.022
448/5	0.018
448/6	0.154
447/2	0.021
446	0.038
444/2	0.030
445/1	0.054
445/2	0.063
444/1	0.066
438/3	0.026
437	0.340
439/7	0.054
436/1	0.086
436/2	0.157
436/4	0.095
436/3	0.005
433/1	0.110
433/4	0.110
416	0.100
408/1	0.213
408/2	0.065
405/1	0.116
403	0.216
402/4	0.006
405/3	0.015
402/7	0.060
402/8	0.070
402/1	0.137
389/9, 404/1 2	0.257
389/7	0.105
389/8-10, 2	0.177
385/2	0.153
185/3	0.017
385/6	0.157
378/3	0.086
349/1	0.148
348	0.343
347/3	0.010
347/1	0.126
343	
352/6	0.162
338/1	0.044
340/2	0.029
340/3	0.365
340/1	0.097
339/1	0.320
339/3	0.270
319	0.282
395	1.287
322/1	
286	0.034
287	0.040
289	0.024
290	0.024
203/4	3.080
203/3	1.024
244/1	0.039
244/2	0.018
244/7	0.022
244/15-17	0.128
244/8	0.136
244/9	0.002
246	0.055
योग	11.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 मई 2003

क्र. 673/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम पिहरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 5.342 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1194/3	0.040
1386/2	0.004
1194/2	0.045
1194/4	0.117
1195/1	0.032
1339/4	0.117
1385/3	0.004
1251	0.016
1178/1	0.028
1281/1	0.105
1249	0.138
1293/2	0.024
1250	0.024
1268, 1269	0.024
1290/2	0.121
1291/2	0.077
1292/2	0.057
1294	0.040
1179/2	0.032
1177/1	0.081
1175/1	0.061
1308, 1309, 1310/1	0.299
1412	0.004
1413	0.004
1411	0.004
1410/3	0.004
1410/2	0.004
1410/1	0.004
1409	0.004
1339	0.004
1408	0.004
1407	0.004
1406	0.004
1405/5	0.004
1405/4	0.004
1405/3	0.004
1405/2	0.004
1405/1	0.004
1404	0.004
1403	0.004
323	0.138
1402	0.004
1384	0.004
1401	0.004
1400	0.004
1398	0.004
1397	0.004
1396	0.004
1395	0.004
1394	0.008
1393	0.004
1392	0.004
1391	0.004
1390/2	0.004
1390/1	0.004
1389, 1388, 1387/2, 1387/1	0.036
1386/1	0.004
1385/2	0.004

(1)	(2)
1385/1	0.004
1358/4	0.012
1364	0.032
1364/2	0.004
1365	0.036
1366	0.032
1373	0.024
1374	0.085
573/1	0.008
570	0.020
573/2	0.065
576/2	0.057
572	0.036
571	0.073
550/2	0.081
551/3	
334/1 ख	0.061
550/1	0.117
551/1	
538/26	0.101
538/17	0.028
390/4	0.012
538/11	0.016
538/16	0.065
334/5	0.134
538/15 ख	0.130
527	0.142
326	0.045
526	0.073
525/2	0.020
583	0.154
523	0.154
522/1	0.061
513/1	0.032
512	0.045
509/3	0.036
509/2	0.045
508/1	0.040
508/2	0.053
500	0.166
499/2	0.040
498	0.020
497/1	0.024
491	0.049
390/2	0.113
400/2	0.016
401/1	0.032
395/1	0.004
324	0.045
327	0.024
322/2	0.040
334/2 क	0.081
334/2 ख	
334/2 ग	
334/2 घ	
334/3	0.057
334/4 क	0.081
334/4 ख	
334/4 ग	
334/4 घ	
334/4 च	
311/2	0.089
538/25	0.024
397/2	0.012
1375/1	0.016
1187	0.012
1188/2	0.040
1189	0.125
1199	0.008
1235/2	0.039
1234/3	0.008
1293/2	0.089
1192/1	0.024
1193/1	0.012
1192/2	0.057
1190	0.012
1998	
1996	
योग	5.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेराडीह सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर चाम्पा, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 106/सा 1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम नगझर, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339/1	0.028
339/2	0.057
330/2	0.024
329/1	0.040
327/3	0.004
324	0.061
327/2	0.061
327/4	0.032
323/1	0.097
321	0.081
322	0.012
314/1	0.040
314/2	0.057
284/2	0.032
313/3	0.036
299/1	0.117
299/2	0.053
265	0.014
299/3	0.012
298	0.061
295/1	0.036
295/2	0.061
284/1	0.053
283/1	0.020
283/2	0.065
263/2 ख	0.040
264	0.049
योग	1.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.